

मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग, इन्दौर

क्रमांक 3039/24/2019/चयन

इन्दौर, दिनांक 13 JUN 2019

// विज्ञप्ति //

चिकित्सा अधिकारी एवं बीमा चिकित्सा पदाधिकारी/सहायक शल्य चिकित्सक – 2019 (बैकलॉग) के पद हेतु साक्षात्कार की उम्मीदवारी निरस्त किये गये आवेदकों द्वारा प्रस्तुत आपत्ति अभ्यावेदन का निराकरण संबंधी ।

—00—


01/ आयोग के विज्ञापन क्रमांक 01/2019/दिनांक 15.02.2019, चिकित्सा अधिकारी एवं शुद्धिपत्र क्रमांक 01/1/2019/दिनांक 21.02.2019, बीमा चिकित्सा पदाधिकारी/सहायक शल्य चिकित्सक – 2019 के बैकलॉग (अ.जा./अ.ज.जा./अ.पि.वर्ग.) का विज्ञापन प्रकाशित किया गया है । उपरोक्त पदों के साक्षात्कार दिनांक 10.06.2019 से 26.06.2019 तक आयोजित है ।

02/ आयोग की विज्ञप्ति क्रमांक 1660/24/2019/चयन, इन्दौर दिनांक 13.05.2019 द्वारा कुल – 45 आवेदकों के साक्षात्कार की उम्मीदवारी विज्ञप्ति में दर्शाये गये कारणों से निरस्त की जाकर आवेदकों को निर्देशित किया गया था कि अगर साक्षात्कार की उम्मीदवारी निरस्त किये जाने के संबंध में कोई आपत्ति हो तो आयोग की उक्त विज्ञप्ति जारी होने की तिथि से 10 दिवस की अवधि में आयोग के समक्ष आपत्ति अभ्यावेदन प्रस्तुत किये जा सकते हैं ।

03/ आयोग द्वारा जारी उक्त विज्ञप्ति के संदर्भ में निम्नलिखित आवेदकों द्वारा आयोग के समक्ष आपत्ति अभ्यावेदन प्रस्तुत किये गये हैं :-

स.क्र.	आवेदकों के नाम	रोल नम्बर
01	राजेश अहिरवार	1835
02	मोनु अवास्या	1935
03	प्रिया बघेल	1934
04	डॉ. रेनुका डामोर	1954
05	डॉ. नरेन्द्र देव आज्ञा	1951

04/ उपरोक्त कुल-05 आवेदकों द्वारा प्रस्तुत आपत्ति अभ्यावेदन आयोग द्वारा गहनता से परीक्षण किया गया । आवेदकों की साक्षात्कार की उम्मीदवारी निरस्त की गई है वह पूर्णतया सही होने से आवेदकों द्वारा प्रस्तुत आपत्ति अभ्यावेदन अमान्य किये जाकर नस्तीबद्ध किये जाते हैं ।


13/6/19
उप परीक्षा नियंत्रक